

प्रेस नोट थाना चिलुआताल गोरखपुर जनपद गोरखपुर दिनांक 14.09.2023

01 किलो 250 ग्राम अवैध गांजे के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी जनपद गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज गोरखपुर के पर्यवेक्षण में, थानाध्यक्ष चिलुआताल द्वारा उ0नि0 हरिशंकर यादव मय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त मनोज साहनी उर्फ टमाटर पुत्र स्व0 विदेशी निवासी नकहा नं0-1 शास्त्री नगर टोला केवटलिया थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को 01 किलो 250 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त मनोज साहनी उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 490/23 धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

मनोज साहनी उर्फ टमाटर पुत्र स्व0 विदेशी निवासी नकहा नं0-1 शास्त्री नगर टोला केवटलिया थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 490/2023 धारा 8/20 NDPS Act थाना चिलुआताल गोरखपुर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0 490/2023 धारा 8/20 NDPS Act-थाना चिलुआताल गोरखपुर
- 2- मु0अ0सं0 29/2021 धारा 395,397,412,506 भादवि थाना रामगढ़ताल गोरखपुर
- 3- मु0अ0सं0 608/2022 धारा 3(1) यू0पी0 गैग्रेटर एक्ट थाना रामगढ़ताल गोरखपुर
- 4- मु0अ0सं0 255/2022 धारा 395,412 भादवि थाना कैण्ट, गोरखपुर
- 5- मु0अ0सं0 44/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलुआताल, गोरखपुर
- 6- मु0अ0सं0 17/2022 धारा 13 जुआ अधि0 थाना गोरखनाथ गोरखपुर
- 7- मु0अ0सं0 153/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैग्रेटर एक्ट थाना कैण्ट गोरखपुर
- 8- मु0अ0सं0 599/2022 धारा 394,392,411,427,120बी भा0द0स0 थाना चिलुआताल गोरखपुर
- 9- मु0अ0सं0 235/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रामगढ़ताल, गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 हरिशंकर यादव थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
2. का0 धीरेन्द्र कुमार यादव थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
3. का0 उपेन्द्र गौड थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर